



बिहार सरकार

वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम
तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान

(बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के आलोक में)

सुशील कुमार मोदी

उपमुख्य (वित्त) मंत्री

अगस्त, 2017

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आप अवगत हैं कि वित्तीय संव्यवहार में पारदर्शिता एवं अनुशासन लाने के दृष्टिकोण से 18 फरवरी, 2006 के प्रभाव से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू है। उक्त अधिनियम की धारा-11 में यह प्रावधान है कि बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रत्येक तिमाही के बाद आय एवं व्यय के रुझानों का पुनरावलोकन किया जायेगा और इसके परिणामों को विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के आय एवं व्यय के रुझानों का परिणाम प्रस्तुत कर रहा हूँ।

प्रथम तिमाही के आय एवं व्यय के रुझान का परिणाम CTMIS (विस्तृत कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली) से प्राप्त विवरणी एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से प्राप्त राज्यपाल सचिवालय की व्यय विवरणी के आधार पर संकलन किया गया है।

उपरोक्त आकलन के अनुसार बजट अनुमानों के संदर्भ में प्रथम तिमाही में आय एवं व्यय की तुलनात्मक संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है:-

आय-व्ययक का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

2017-18

| क्र. सं. | मर्दे | बजट अनुमान | प्रथम तिमाही तक कुल प्राप्ति एवं व्यय | प्रथम तिमाही तक बजट अनुमान की तुलना में प्राप्ति एवं व्यय का प्रतिशत (कॉलम 3 का) |
|----------|---|------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कुल गैर-ऋण आय | 137176.41 | 23776.00 | 17.33 |
| 2 | कुल गैर-ऋण व्यय | 155288.41 | 18207.82 | 11.73 |
| 3 | राजकोषीय घाटा (2-1) | 18112.00 | -5568.18 | -30.74 |
| 4 | ऋण भुगतान | 4797.28 | 492.40 | 10.26 |
| 5 | ऋण उगाही | 23862.68 | 577.20 | 2.42 |
| 6 | गैर-ऋण आय के मुख्य अवयव:- | 137176.41 | 23776.00 | 17.33 |
| | (क) राज्य सरकार की आय | 34876.08 | 4348.17 | 12.47 |
| | (1) कर राजस्व | 32001.12 | 3998.31 | 12.49 |
| | (2) गैर कर राजस्व | 2874.96 | 349.86 | 12.17 |
| | (ख) केन्द्र सरकार से प्राप्तियाँ | 102282.34 | 19422.43 | 18.99 |
| | (1) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा | 65326.34 | 13998.02 | 21.43 |
| | (2) केन्द्र सरकार से सहाय्य अनुदान | 36956.00 | 5424.41 | 14.68 |
| | (ग) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली | 18.00 | 5.40 | 30.00 |
| 7 | गैर-ऋण व्यय के मुख्य अवयव:- | 155288.41 | 18207.82 | 11.73 |
| | (क) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | 74021.18 | 11480.71 | 15.51 |
| | (1) पेंशन | 19877.63 | 2794.48 | 14.06 |
| | (2) सूद | 9591.35 | 1632.84 | 17.02 |
| | (3) अन्य | 44552.20 | 7053.39 | 15.83 |
| | (ख) स्कीम व्यय | 81267.23 | 6727.11 | 8.28 |
| | (1) राज्य स्कीम | 80891.61 | 6675.82 | 8.25 |
| | (2) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम | 375.62 | 52.63 | 14.01 |
| | (3) केन्द्र प्रायोजित स्कीम | 0.00 | -1.34 | 0.00 |

नोट :- 1. विभागवार राज्य स्कीम तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय की व्यय विवरणी अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' पर और केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की व्यय विवरणी अनुलग्नक 'घ' पर है ।

2. राज्य सरकार के कर एवं गैर-कर राजस्व, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली, ऋण उगाही एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि की विवरणी अनुलग्नक 'ग' पर है।

राज्य स्कीम मद में व्यय

उपरोक्त आकलन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही तक राज्य स्कीम मद में 6675.82 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जबकि पिछले वर्ष प्रथम तिमाही तक 6424.86 करोड़ रुपये हुआ था। पूर्व वर्ष की तुलना में 3.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में व्यय

वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही तक स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में लोक ऋण भुगतान को छोड़कर कुल व्यय 11480.71 करोड़ रुपये है, जो बजट उपबंध का 15.51 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही तक 12189.84 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था।

पेंशन/सूद मद में व्यय-

वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही तक पेंशन मद में 2794.48 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जो बजट उपबंध का 14.06 प्रतिशत है। सूद मद में 1632.84 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जो बजट उपबंध का 17.02 प्रतिशत है। अन्य मदों में व्यय 7053.39 करोड़ रुपये का हुआ है, जो मूल बजट में प्रावधानित राशि का 15.83 प्रतिशत है।

राज्य की अपनी स्रोतों से आय

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम तिमाही तक राज्य की अपने कर राजस्व से आय 3998.31 करोड़ रुपये एवं गैर-कर राजस्व से आय 349.86 करोड़ रुपये है, जो बजट अनुमानों का क्रमशः 12.49 प्रतिशत एवं 12.17 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में कर-राजस्व से आय 3752.34 करोड़ रुपये एवं गैर-कर राजस्व से आय 324.97 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार पूर्व वर्ष की तुलना में राज्य के अपने राजस्व में कुल 6.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्य विभागवार आय की तुलनात्मक विवरणी अनुलग्नक 'ग' पर है।

वाणिज्य-कर विभाग से आय

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रथम तिमाही तक 2596.55 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2372.36 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 9.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष आय कुल बजट अनुमान 25000.00 करोड़ रुपये का 10.39 प्रतिशत है।

निबंधन विभाग

निबंधन विभाग द्वारा प्रथम तिमाही तक 917.09 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 874.76 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 4.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आय कुल बजट अनुमान 4600.00 करोड़ रुपये का 19.94 प्रतिशत है।

परिवहन विभाग से आय

परिवहन विभाग द्वारा प्रथम तिमाही तक 370.98 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 276.15 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 34.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आय कुल बजट अनुमान 1800.00 करोड़ रुपये का 20.61 प्रतिशत है।

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र से अनुदान

राज्य को केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में आय प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 अंतर्गत इस मद में प्रथम तिमाही तक 13998.02 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। यह बजट अनुमान 65326.34 करोड़ रुपये का 21.43 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में 11835.39 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार इस वर्ष 18.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त होता है। इस मद में प्रथम तिमाही तक 5424.41 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो मूल बजट अनुमान 36956.00 करोड़ रुपये का 14.68 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में 4660.56 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 16.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ऋण की उगाही एवं ऋण/सूद का भुगतान

प्रथम तिमाही तक राज्य सरकार द्वारा 577.20 करोड़ रुपये के ऋण की उगाही की गयी है, जिसमें केन्द्र सरकार से 541.64 करोड़ रुपये की राशि बाह्य संपोषित परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक ऋण के रूप में प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष इस अवधि तक इस मद में 760.08 करोड़ रुपये के ऋण की उगाही की गयी थी।

राज्य सरकार द्वारा प्रथम तिमाही तक 492.40 करोड़ रुपये के ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है। यह बजट अनुमान 4797.28 करोड़ रुपये का 10.26 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 487.96 करोड़ रुपये का ऋण पुनर्भुगतान किया गया था।

उपसंहार :

वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही तक गैर-ऋण आय के रूप में 23776.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और गैर-ऋण व्यय 18207.82 करोड़ रुपये का हुआ। प्रथम तिमाही तक 5568.18 करोड़ रुपये राजकोषीय बचत हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 18112.00 करोड़ रुपये संभावित है ।

अंत में, मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार कर प्रशासन तथा व्यय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है।

----- :: -----

राज्य स्कीम व्यय की विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

| मांग | विभाग का नाम | 2017-18 | | | | 2016-17 में प्रथम तिमाही तक कुल व्यय | प्रथम तिमाही तक प्रिष्ठले वर्ष की तुलना में कुल व्यय परिवर्तन (%) |
|------|---|------------|------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | बजट उपबंध | उद्ध्यय | प्रथम तिमाही का व्यय | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | कृषि विभाग | 219225.45 | 234281.57 | 34.00 | 0.02 | 26.00 | 30.77 |
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 29894.81 | 30494.81 | 61.00 | 0.20 | 59.00 | 3.39 |
| 03 | भवन निर्माण विभाग | 338478.73 | 24843.52 | 13476.00 | 3.98 | 7564.00 | 78.16 |
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | 22480.14 | 22771.14 | 2309.00 | 10.27 | 25.00 | 9136.00 |
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | 5795.00 | 36596.35 | 11.00 | 0.19 | 16.00 | -31.25 |
| 09 | सहकारिता विभाग | 49670.19 | 49670.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | उर्जा विभाग | 679559.53 | 679559.53 | 112682.00 | 16.58 | 192691.00 | -41.52 |
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 152208.64 | 158008.64 | -905.00 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | वित्त विभाग | 6200.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -100.00 |
| 16 | पंचायती राज विभाग | 213621.00 | 258921.00 | 0.00 | 0.00 | 1135.00 | 0.00 |
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | 0.00 | 603.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 154697.36 | 162163.36 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 17846.38 | 17846.38 | 800.00 | 4.48 | 494.00 | 61.94 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | 356241.64 | 356741.64 | 4469.00 | 1.25 | 6847.00 | -34.73 |
| 21 | शिक्षा विभाग | 1421788.77 | 1421788.77 | 141609.00 | 9.96 | 98938.00 | 43.13 |
| 22 | गृह विभाग | 35779.27 | 52979.27 | 1901.00 | 5.31 | 2821.00 | -32.61 |
| 23 | उद्योग विभाग | 77187.80 | 77187.80 | 589.00 | 0.76 | 36.00 | 0.00 |
| 24 | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 9012.29 | 9012.29 | 286.00 | 3.17 | 140.00 | 104.29 |
| 25 | सूचना प्रावैधिकी विभाग | 21929.02 | 22529.02 | 35.00 | 0.16 | 13792.00 | -99.75 |
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | 31617.67 | 58117.67 | 581.00 | 1.84 | 474.00 | 22.57 |
| 27 | विधि विभाग | 50.00 | 27500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 56733.00 | 87319.00 | 6066.00 | 10.69 | 1294.00 | 368.78 |
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | 5852.51 | 11852.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 267601.82 | 211045.70 | 63703.00 | 23.81 | 5401.00 | 1079.47 |
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 200989.33 | 200989.33 | 18015.00 | 8.96 | 16276.00 | 10.68 |

| मांग | विभाग का नाम | 2017-18 | | | | 2016-17 में प्रथम तिमाही तक कुल व्यय | प्रथम तिमाही तक पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय परिवर्तन (%) |
|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | बजट उपबंध | उद्ध्यय | प्रथम तिमाही का व्यय | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | 851686.31 | 851686.31 | 87275.00 | 10.25 | 113962.00 | -23.42 |
| 38 | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | 100.00 | 461.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | 5125.50 | 5125.50 | 556.00 | 10.85 | 501.00 | 10.98 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 15075.05 | 15666.05 | 771.00 | 5.11 | 620.00 | 24.35 |
| 41 | पथ निर्माण विभाग | 570339.00 | 570339.00 | 101946.00 | 17.87 | 162182.00 | -37.14 |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | 942432.37 | 972546.55 | 34330.00 | 3.64 | 116.00 | 29494.83 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 13544.87 | 88866.81 | 266.00 | 1.96 | 207.00 | 28.50 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 104713.85 | 152563.85 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | 10184.27 | 10184.27 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -100.00 |
| 46 | पर्यटन विभाग | 9101.21 | 9101.21 | 0.00 | 0.00 | 646.00 | -100.00 |
| 47 | परिवहन विभाग | 1100.00 | 1487.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | 273461.06 | 273461.06 | 45548.00 | 16.66 | 610.00 | 7366.89 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | 283417.43 | 283417.43 | 40922.00 | 14.44 | 38975.00 | 5.00 |
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | 39530.14 | 39530.14 | 0.00 | 0.00 | 949.00 | -100 |
| 51 | समाज कल्याण विभाग | 594890.04 | 594901.04 | 13778.00 | 2.32 | 971.00 | 1318.95 |
| | अन्य (घटायें वापसियाँ) | | | -23533.00 | 0.00 | -25295.00 | -6.97 |
| | योग- | 8089161.45 | 8089161.45 | 667582.00 | 8.25 | 642486.00 | 3.91 |

स्रोत:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम तिमाही तक की व्यय विवरणी सी0टी0एम0आई0एस0 30 जून, 2017 तक के अनुसार अंकित किया गया है।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय की विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

| मांग/ विनियोग सं० | विभाग का नाम | 2017-18 | | | 2016-17 में प्रथम तिमाही तक कुल व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|-------------------------|--|------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | बजट उपबंध | प्रथम तिमाही का कुल व्यय | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | कृषि विभाग | 43761.59 | 4995.00 | 11.41 | 4009.00 | 24.59 |
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 24862.46 | 5571.00 | 22.41 | 4704.00 | 18.43 |
| 03 | भवन निर्माण विभाग | 62255.05 | 5825.00 | 9.36 | 4532.00 | 28.53 |
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | 18941.03 | 3159.00 | 16.68 | 2915.00 | 8.37 |
| 05 | राज्यपाल सचिवालय | 2008.49 | 286.23 | 14.25 | 197.22 | 45.13 |
| 06 | निर्वाचन विभाग | 9087.52 | 930.00 | 10.23 | 1870.00 | -50.27 |
| 07 | निगरानी विभाग | 3621.40 | 806.00 | 22.26 | 842.00 | -4.28 |
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | 7960.16 | 965.00 | 12.12 | 844.00 | 14.34 |
| 09 | सहकारिता विभाग | 11075.23 | 2694.00 | 24.32 | 2359.00 | 14.20 |
| 10 | उर्जा विभाग | 410943.78 | 73875.00 | 17.98 | 273477.00 | -72.99 |
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 1400.70 | 76.00 | 5.43 | 61.00 | 24.59 |
| 12 | वित्त विभाग | 89457.63 | 3424.00 | 3.83 | 3540.00 | -3.28 |
| 13 | सूद भुगतान | 959135.21 | 163284.00 | 17.02 | 144139.00 | 13.28 |
| 15 | पेंशन | 1987763.37 | 279448.00 | 14.06 | 299212.00 | -6.61 |
| 16 | पंचायती राज विभाग | 655822.29 | 3081.00 | 0.47 | 6488.00 | -52.51 |
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | 12912.61 | 4926.00 | 38.15 | 2014.00 | 144.59 |
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 9775.52 | 1285.00 | 13.15 | 1354.00 | -5.10 |
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 14050.36 | 2354.00 | 16.75 | 2144.00 | 9.79 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | 343910.49 | 66553.00 | 19.35 | 54779.00 | 21.49 |
| 21 | शिक्षा विभाग | 1103350.03 | 253705.00 | 22.99 | 155843.00 | 62.80 |
| 22 | गृह विभाग | 708875.63 | 141820.00 | 20.01 | 146184.00 | -2.99 |
| 23 | उद्योग विभाग | 7138.64 | 1548.00 | 21.68 | 1392.00 | 11.21 |
| 24 | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 11443.37 | 463.00 | 4.05 | 1961.00 | -76.39 |
| 25 | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 2934.69 | 54.00 | 1.84 | 49.00 | 10.20 |
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | 15277.34 | 3075.00 | 20.13 | 2948.00 | 4.31 |
| 27 | विधि विभाग | 69638.60 | 15218.00 | 21.85 | 14814.00 | 2.73 |
| 28 | उच्च न्यायालय | 16642.00 | 3591.00 | 21.58 | 2853.00 | 25.87 |
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | 2585.16 | 312.00 | 12.07 | 323.00 | -3.41 |
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 2773.76 | 585.00 | 21.09 | 341.00 | 71.55 |
| 31 | संसदीय कार्य विभाग | 201.47 | 51.00 | 25.31 | 45.00 | 13.33 |
| 32 | विधान मंडल | 17135.75 | 2475.00 | 14.44 | 3346.40 | -26.04 |

| मांग/ विनियोग सं० | विभाग का नाम | 2017-18 | | | 2016-17 में प्रथम तिमाही तक कुल व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | बजट उपबंध | प्रथम तिमाही का कुल व्यय | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | 46587.65 | 7071.00 | 15.18 | 5935.00 | 19.14 |
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | 2260.13 | 465.00 | 20.57 | 534.00 | -12.92 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 15950.34 | 2966.00 | 18.60 | 2664.00 | 11.34 |
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 42451.92 | 6740.00 | 15.88 | 6313.00 | 6.76 |
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | 100118.74 | 3013.00 | 3.01 | 1785.00 | 68.80 |
| 38 | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | 15180.37 | 2643.00 | 17.41 | 2217.00 | 19.22 |
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | 50114.51 | 5109.00 | 10.19 | 3022.00 | 69.06 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 70997.24 | 9830.00 | 13.85 | 8639.00 | 13.79 |
| 41 | पथ निर्माण विभाग | 93251.08 | 16138.00 | 17.31 | 23631.00 | -31.71 |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | 29316.08 | 6490.00 | 22.14 | 4776.00 | 35.89 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 7800.48 | 2217.00 | 28.42 | 1586.00 | 39.79 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 20466.12 | 2280.00 | 11.14 | 1954.00 | 16.68 |
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | 1673.45 | 392.00 | 23.42 | 318.00 | 23.27 |
| 46 | पर्यटन विभाग | 1886.14 | 242.00 | 12.83 | 178.00 | 35.96 |
| 47 | परिवहन विभाग | 4905.80 | 923.00 | 18.81 | 661.00 | 39.64 |
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | 160040.15 | 896.00 | 0.56 | 300.00 | 198.67 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | 85489.18 | 33928.00 | 39.69 | 11972.00 | 183.39 |
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | 21151.89 | 4082.00 | 19.30 | 4056.00 | 0.64 |
| 51 | समाज कल्याण विभाग | 5735.77 | 694.00 | 12.10 | 768.00 | -9.64 |
| | अन्य (घटायें वापसियाँ) | | -4482.00 | 0.00 | -1905.00 | 135.28 |
| | योग- | 7402118.37 | 1148071.23 | 15.51 | 1218983.62 | -5.82 |
| 14 | ऋण अदायगियाँ | 479727.86 | 49240.00 | 10.26 | 48796.00 | 0.91 |
| | महायोग | 7881846.23 | 1197311.23 | 15.19 | 1267779.62 | -5.56 |
| स्रोत- | वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम तिमाही तक की व्यय विवरणी सी०टी०एम०आई०एस० 30 जून, 2017 तक की एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से प्राप्त राज्यपाल सचिवालय की व्यय विवरणी के अनुसार अंकित किया गया है। | | | | | |

राजस्व वसूली की विभागवार विवरणी

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | विभाग | 2017-18 | | | | 2016-17 में प्रथम तिमाही तक कुल प्राप्ति | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | बजट प्रावधान | प्रथम तिमाही में कुल प्राप्ति | प्रथम तिमाही तक कुल प्राप्ति | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत प्राप्ति (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| कर राजस्व | | | | | | | |
| 1 | वाणिज्य-कर विभाग | 25000.00 | 2596.55 | 2596.55 | 10.39 | 2372.36 | 9.45 |
| 2 | निबंधन विभाग | 4600.00 | 917.09 | 917.09 | 19.94 | 874.76 | 4.84 |
| 3 | मद्य निषेध एवं उत्पाद | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 42.27 | -99.79 |
| 4 | परिवहन विभाग | 1800.00 | 370.98 | 370.98 | 20.61 | 276.15 | 34.34 |
| 5 | राजस्व एवं भू0सु0 विभाग | 600.00 | 113.60 | 113.60 | 18.93 | 186.80 | -39.19 |
| 6 | अन्य | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग | | 32001.12 | 3998.31 | 3998.31 | 12.49 | 3752.34 | 6.56 |
| गैर कर राजस्व | | | | | | | |
| 7 | खान एवं भू-तत्व विभाग | 1350.00 | 175.87 | 175.87 | 13.03 | 140.82 | 24.89 |
| 8 | जल संसाधन विभाग | 38.00 | 0.93 | 0.93 | 2.45 | 1.72 | -45.93 |
| 9 | कृषि विभाग | 34.36 | 5.33 | 5.33 | 15.51 | 4.80 | 11.04 |
| 10 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 15.95 | 1.56 | 1.56 | 9.78 | 1.30 | 20.00 |
| 11 | अन्य विभाग | 1436.65 | 166.17 | 166.17 | 11.57 | 176.33 | -5.76 |
| योग | | 2874.96 | 349.86 | 349.86 | 12.17 | 324.97 | 7.66 |
| महायोग (कर एवं गैर कर) | | 34876.08 | 4348.17 | 4348.17 | 12.47 | 4077.31 | 6.64 |
| ऋण उगाही की मदवार विवरणी | | | | | | | |
| 1 | बाजार ऋण | 19497.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | नाबार्ड | 2100.00 | 35.56 | 35.56 | 1.69 | 70.95 | -49.88 |
| 3 | राष्ट्रीय लघु बचत निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | वाह्य सम्पोषित परियोजना हेतु ऋण | 2160.07 | 541.64 | 541.64 | 25.08 | 689.13 | -21.40 |
| 5 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग | | 23862.68 | 577.20 | 577.20 | 2.42 | 760.08 | -24.06 |
| राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली | | | | | | | |
| 1 | ऋणों की वसूली | 18.00 | 5.40 | 5.40 | 30.00 | 4.74 | 13.92 |
| केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि की मदवार विवरणी | | | | | | | |
| 1 | केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा | 65326.34 | 13998.02 | 13998.02 | 21.43 | 11835.39 | 18.27 |
| 2 | केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान | 36956.00 | 5424.41 | 5424.41 | 14.68 | 4660.56 | 16.39 |

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम तिमाही तक की राजस्व प्राप्ति विवरणी सी0टी0एम0आई0एस0 30 जून, 2017 तक के अनुसार अंकित किया गया है।

‘अनुलग्नक-घ’

(राशि लाख रुपये में)

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम व्यय की विभागवार विवरणी

| मांग सं० | विभाग का नाम | 2017-18 | | | 2016-17 में प्रथम तिमाही तक का व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|----------|--|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | बजट प्रावधान | प्रथम तिमाही तक का कुल व्यय | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | कृषि विभाग | 1486.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 3355.17 | 6.00 | 0.18 | 6.00 | 0.00 |
| 9 | सहकारिता विभाग | 14299.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | गृह विभाग | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 620.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 149.39 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 5010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | 12500.00 | 5245.00 | 41.96 | 1808.00 | 190.10 |
| | अन्य (घटायें वापसियाँ) | | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल योग - | 37561.76 | 5263.00 | 14.01 | 1824.00 | 188.54 |

स्रोत:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम तिमाही तक की व्यय विवरणी सी०टी०एम०आई०एस० 30 जून, 2017 तक के अनुसार अंकित किया गया है।